


न्यायालय श्री मान राजस्व मंडलवा लियर कैम्प रीवा म०प्र०



Rs. 20/-

264
12-8-14

R-2898-II/14

- 1-राजेन्द्र पाठक पिता रामपियारे पाठक , § तीनों निवासीसाकिन सुपेला,
- 2-जनेन्द्र पाठक पिता रामपियारे पाठक , § तह० देवसर, जिला -सुरेश्वरी
- 3-भाकर पाठक पिता रामपियारे पाठक , § ~~सुरेश्वरी~~ सिंगरौली म०प्र०

बनाम

--- आवेदक गण

- 1-मथुरा प्रसाद साकेत साकिन सुपेला, तहसील देवसर, जिला -सुरेश्वरी सिंगरौली
- 2-पटवारी हल्काजियावन म०प्र० शासन --- अनावेदक गण

श्री. राजेन्द्र पाठक
द्वारा आज दिनांक 12-8-14 को
प्रस्तुत किया गया।

M
सुपर
सिस्टी कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध तहसीलदार तहसील
देवसर के न्यायालय के प्र०क्र० 81अ74
2013, 2014 में पारित आदेश दि०
5-5-2014, के विरुद्ध निगरानी।

निगरानी अतिरिक्त धारा 50 म०प्र०
भू०रा०स० 1959ई०।

क्रमांक 2766
रजिस्ट्रार
दिनांक 25-8-14

वलार्क
राजस्व मण्डल जे. प्र. न्यायालय
मान्यवर,

प्रकरण का सदिश में तथ्य यह है कि अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा

आराजी नम्बर 206/20 रकवा 2.000 हेक्टा की जांच किये जाने हेतु एक
सिकायती आवेदन कलेक्टर सिंगरौली के समक्ष प्रस्तुत किया, जहाँ कलेक्टर सिंगरौली
ने बिना आवेदक को नोटिस दिये प्रकरण पंजीकृत कर जांच किये जाने हेतु आदेश
तहसीलदार देवसर को दिया, तहसीलदार देवसर ने बिना आवेदक गणों को सुने
मनमानी रूप से यह मान लिया कि उक्त भूमि को म०प्र० शासन की है तथा


M
R/S

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.2898-II/14

जिला-सिंगरीली

राजेन्द्र पाठक/मथुरा प्रसाद साकेत

| (1) | (2) | (3) |
|----------|--|-----|
| 27.04.17 | <ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> | |